

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ (एफ-1146)/2018/ 46

दिनांक : 16-01-2019

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित अध्ययन करने की स्वीकृति हेतु अनुमति/अनापत्ति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	आयोग/संस्थान का नाम	परीक्षा का नाम
1.	श्री दीप चन्द शर्मा, लैब टेक्नीशियन	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अजमेर	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर	बी.एस.सी (बायो) तृतीय वर्ष परीक्षा-2018 (पत्राचार पाठ्यक्रम)
2.	श्री धर्मवीर, लैब टेक्नीशियन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोड़की खण्ड उदयपुरवाटी, झुंझुनूं	वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा	आरएससीआईटी परीक्षा
3.	श्री नन्दकिशोर, प्रयोगशाला सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूनी (जोधपुर)	राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर	डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियन सत्र 2015-16
4.	श्री कृष्ण लाल गुर्जर, लैब टेक्नीशियन	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	UMOU	MSC Chemistry Final year exam
5.	श्री गिरिराज व्यास, लैब टेक्नीशियन	सिटी डिस्पेन्सरी, झालावाड	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय	M.SC. (Chemistry) वर्ष 2018-19 (दूरस्थ शिक्षा/स्वयंपाठी)
6.	श्री सवाई सिंह सोनीगरा, लैब टेक्नीशियन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर	बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष परीक्षा 2018-19 (स्वयंपाठी)
7.	श्री किशनाराम कड़वासरा, लैब टेक्नीशियन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गगाडी (जोधपुर)	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय	M.SC. Chemistry(final) वर्ष 2018(स्वयंपाठी)
8.	श्री रामपाल भाण्ड, प्रयोगशाला सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हमीरगढ़ (भीलवाड़ा)	स्टेट ऑपन बोर्ड, जयपुर	उच्च माध्यमिक परीक्षा-2019 (विज्ञान वर्ग)
9.	श्री राजेन्द्र नाथ योगी, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	पी.बी.एम. हॉस्पिटल, बीकानेर	महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	Ph.d. (Law) Part Time Research Scholar Year 2019
10.	श्री मदन लाल गुर्जर, लैब टेक्नीशियन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर	M.A Previous (Vedic Vangmaya) स्वयंपाठी
11.	श्री बसन्त कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन	प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर	बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष परीक्षा (स्वयंपाठी)
12.	गिर्राज प्रसाद शर्मा, लैब टेक्नीशियन	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर	बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष परीक्षा (स्वयंपाठी)

13.	श्री चेतन मेघवाल, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	अधीक्षक, पी.बी.एम. एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर	महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	स्नातकोत्तर अंग्रेजी पाठ्यक्रम (स्वयंपाठी)
14.	श्री दिनेश कुमार रैगर, डेन्टल टेक्नीशियन	राजकीय चिकित्सालय, शाहपुरा, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष परीक्षा 2018-19(स्वयंपाठी)

शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो स्वीकृती स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृती संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरण हो जाता है तो स्वीकृती स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृती दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी संस्था विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्यसंपादन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृती समाप्त कर दी जावेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में स्वीकृती/अनुमति बिना कोई सूचना के निस्त की जा सकती है।
11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
13. इन्हें केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।
14. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।

नोट:-उक्त कर्मियों में यदि कोई संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो उनके मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।

दिनांक : 16-01-2019

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./एफ-1146/2018/ 46

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय।
2. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. संबंधित प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. संबंधित सामु0स्वा0केन्द्र/प्रा0स्वा0केन्द्र प्रभारी अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।